

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)

• उच्च शिक्षा निदेशालय,

उ०प्र०, प्रयागराज ।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: सहा.नि.(समर्थ)/

/2026-27 दिनांक- 06/10/2026

विषय: समर्थ पोर्टल पर डाटा अपलोड / संशोधन हेतु पोर्टल पुनः खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1411-सत्तर-1-2024 दिनांक 16.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समर्थ पोर्टल के माध्यम से राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में कतिपय प्राध्यापकों द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रोन्नति हेतु डाटा अपलोड नहीं हो पाने के कारण समर्थ पोर्टल को पुनः खोलने का अनुरोध किया गया है।

• अतः उक्त के क्रम में समर्थ पोर्टल को डाटा अपलोड/संशोधन हेतु दिनांक 07 अक्टूबर, 2026 से 31 दिसम्बर, 2026 तक इस शर्त के अधीन पुनः खोला जा रहा है कि प्राध्यापकों को अपने पूर्व अपलोड किए गए डेटा में संशोधन करने का यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके उपरांत पोर्टल पुनः खोले जाने संबंधी किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए संबंधित प्राध्यापक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

डा०(मोनिका सिंह)
शिक्षा निदेशक(उ०शि०)
उ०प्र०, प्रयागराज।

पृ०सं०-सहा०नि०(समर्थ)/ 40-42

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समन्वयक, समर्थ टीम, उ०प्र०।

/2026-27 उक्त तिथि को।

डा०(शशि कपूर)
संयुक्त निदेशक(उ०शि०)
उ०प्र०, प्रयागराज।